

हिमाचल प्रदेश सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
(अनुभाग-ई)

संख्या सा०प्र०वि०-ई(ए)४-१/२०१९ दिनांक- शिमला-१७१००२, ०२/०९/२०२०

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की अधिसूचना  
संख्या: सा०प्र०वि०-ई(एफ)४-१/२०१९ दिनांक २४-०२-२०२० द्वारा  
अधिसूचित तथा दिनांक २५.०२.२०२० को राजपत्र में प्रकाशित “हिमाचल  
प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-२०१९” में निम्नलिखित संशोधन  
करने हेतु संघर्ष खीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	प्रचलित प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	<p><b>पात्रता</b></p> <p>1. यह योजना हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासियों के लिए लागू होगी, जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और संघर्ष किया तथा चाहे उन्हें मीसा/डी०आई०आर०/ Cr.P.C. (दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धाराओं के अधीन दिनांक २५.०६.१९७५ से २१.०३.१९७७ के दौरान राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध किया गया हो।</p> <p>2. यह योजना अन्य राज्यों के ऐसे व्यक्तियों को भी लागू होगी, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की जेलों/थानों में मीसा/डी०आई०आर०/ Cr.P.C.</p>	<p><b>पात्रता</b></p> <p>1. (i) यह योजना हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासियों के लिए लागू होगी, जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और संघर्ष किया तथा चाहे उन्हें मीसा/डी०आई०आर०/ Cr.P.C. (दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धाराओं के अधीन दिनांक २५.०६.१९७५ से २१.०३.१९७७ के दौरान राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध किया गया हो।</p> <p>(ii) यह योजना अन्य राज्यों के ऐसे व्यक्तियों को भी लागू होगी, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की जेलों/थानों में मीसा/डी०आई०आर०/ Cr.P.C.</p>

	<p>परिशिष्ट-क में दिए गए प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।</p>	<p>(दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धाराओं के अधीन दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 के दौरान राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुल्लब्ध किया गया हो।</p> <p>योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों को योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट-क (संशोधित) में दिए गए प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।</p>
2.	<p>यह योजना कम संख्या-1 में दर्शाए गए व्यक्तियों की मृत्युपरांत उनकी पत्नी/पति के लिए भी लागू होगी। इसके लिए उन्हें योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट-ख (संशोधित) में दिए गए प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य होगा-</p> <p>i. मृतक की पत्नी/पति द्वारा मृत्यु की तिथि से दो माह के भीतर सम्मान राशि हस्तांतरण हेतु आवेदन सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से करना होगा तथा उन्हें मृत्यु की तिथि के अगले दिन से पूरी अर्थात् ₹ 11,000</p>	<p>2. यह योजना कम संख्या-1 के (i व ii) में दर्शाए गए व्यक्तियों की मृत्युपरांत उनकी पत्नी/पति के लिए भी लागू होगी। इसके लिए उन्हें योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट-ख (संशोधित) में दिए गए प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य होगा-</p> <p>i. मृतक की पत्नी/पति द्वारा मृत्यु की तिथि से दो माह के भीतर सम्मान राशि हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को करना होगा तथा उन्हें मृत्यु की तिथि के अगले दिन से पूरी अर्थात् ₹ 8,000/- या ₹ 12,000/- प्रति माह (जो भी देय हो) सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।</p>

९

	<p>प्रति माह सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।</p> <p>ii. यदि आवेदन मृतक की पत्नी/पति द्वारा दो माह के पश्चात् किया जाता है, तो सम्मान राशि प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि से देय होगी।</p>
	<p>3. जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किसी अन्य राज्य से मीसा अथवा <math>\text{₹} 0.3\text{ लाख } 0.3\text{ हजार}</math> के अन्तर्गत <math>\text{₹ } 11,000/-</math> प्रति माह या अधिक पैदान/सम्मान राशि प्राप्त कर रहे हैं, वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि हेतु पात्र नहीं होंगे।</p>
	<p>3. जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी/अन्य राज्य के निवासी किसी अन्य राज्य/अपने राज्य से मीसा/<math>\text{₹} 0.3\text{ लाख } 0.3\text{ हजार } / \text{Cr.P.C.}</math> (दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धाराओं के अन्तर्गत राजनीतिक व सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहने के कारण उस राज्य में बनाई गई योजना के अन्तर्गत <math>\text{₹ } 8,000/-</math> या <math>\text{₹ } 12,000/-</math> प्रति माह या अधिक पैदान/सम्मान राशि प्राप्त कर रहे हैं, वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि हेतु पात्र नहीं होंगे।</p>
	<p>4. जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किसी अन्य राज्य से मीसा अथवा <math>\text{₹} 0.3\text{ लाख } 0.3\text{ हजार}</math> के अन्तर्गत <math>\text{₹ } 11,000/-</math> प्रति माह से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बची हुई सम्मान राशि अर्थात <math>\text{₹ } 11,000</math> तक</p>
	<p>4. जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी/अन्य राज्यों के निवासी किसी अन्य राज्य/अपने राज्य से मीसा/<math>\text{₹} 0.3\text{ लाख } 0.3\text{ हजार } / \text{Cr.P.C.}</math> (दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धाराओं के अन्तर्गत राजनीतिक व सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहने के कारण उस</p>

8.

	<p>की राशि का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019 के अन्तर्गत किया जाएगा।</p>	<p>राज्य में बनाई गई योजना के अन्तर्गत ₹ 8,000/- या ₹ 12,000/- प्रति माह से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बची हुई सम्मान राशि अर्थात ₹ 8,000/- या ₹ 12,000/- तक की राशि का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019 के अन्तर्गत किया जाएगा।</p>
2.	<p><u>पात्रता/अपात्रता का निर्धारण:-</u></p> <p>1. इस योजना के अधीन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर सम्मान राशि की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में अनुशंसा जिला स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जाएगी:-</p> <p>क. सम्बन्धित जिला उपायुक्त - अध्यक्ष</p> <p>ख. सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक - सदस्य सचिव</p> <p>ग. सम्बन्धित जिला जेल अधीक्षक - सदस्य</p>	<p><u>पात्रता/अपात्रता का निर्धारण:-</u></p> <p>1. इस योजना के अधीन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर सम्मान राशि की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में अनुशंसा राज्य स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जाएगी:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. श्री सुरेश भारद्वाज माननीय शहरी विकास मन्त्री, हिमाचल प्रदेश। - अध्यक्ष</li> <li>ii. श्री प्रवीण शर्मा पूर्व मन्त्री, हिमाचल प्रदेश। - सदस्य</li> <li>iii. श्री चन्द्रसेन ठाकुर पूर्व विधायक, हिमाचल प्रदेश - सदस्य</li> <li>iv. श्री सुनील मनोचा कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र००- सदस्य</li> <li>v. सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार। - सदस्य सचिव</li> </ul>

११

	<p>2. हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो अन्य राज्यों में मीसा/डी०आई०आर० अधिनियम के अधीन राजनीतिक व सामाजिक कारणों से निलंब्न हुए थे को निलंब्न रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जेल की दशा में उस राज्य के सम्बन्धित जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में उस राज्य के सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी छानबीन उपरोक्त समिति द्वारा की जाएगी।</p>	<p>2. हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो अन्य राज्यों में मीसा/डी०आई०आर०/Cr.P.C. (दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धाराओं के अधीन राजनीतिक व सामाजिक कारणों से निलंब्न हुए थे को निलंब्न रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जेल की दशा में उस राज्य के सम्बन्धित जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में उस राज्य के सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी छानबीन उपरोक्त समिति द्वारा की जाएगी।</p>
	<p>3. सम्बन्धित उपायुक्त की सिफारिश पर योजना के तहत सम्मान राशि रखीकृत करने के लिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार अन्तिम रूप से प्राधिकारी होंगे।</p>	<p>3. उपरोक्त समिति की सिफारिश पर योजना के तहत सम्मान राशि रखीकृत करने के लिए, प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार प्राधिकृत होंगे।</p>
	<p>4. आवेदक (हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी) केवल एक ही जिले से आवेदन कर सकता है और उसे इस आशय का शपथ पत्र जमा करवाना होगा कि उसने किसी अन्य जिले से आवेदन नहीं किया है।</p>	<p>4. पूर्व गठित समिति के स्थान पर माननीय शहरी विकास मन्त्री की अध्यक्षता में गठित समिति के गठन के कारण उक्त प्रावधान का विलोप किया जाता है।</p>
		<p>5. उपरोक्त राज्य स्तर पर गठित समिति योजना के कार्यान्वयन हेतु किसी अन्य तौर-तरीका/रूपात्मकता</p>

9

		(Modality) को तैयार (devise) करने के लिए भी प्राधिकृत होगी।
3.	<p><u>प्रक्रिया:-</u></p> <p>1. आवेदन सम्बन्धित जिला के उपायुक्त, (हिमाचल प्रदेश) को सम्बोधित किए जाएंगे तथा योजना के तहत सम्मान राशि की रचीकृति के लिए आवेदन फार्म, योजना के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद तीन माह के भीतर योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट-क में दिए गए प्रपत्र में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले कोई भी आवेदन सरकार द्वारा रचीकार नहीं किए जाएंगे।</p> <p>2. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा सभी जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित समितियां करेंगी तथा मामले में राज्य सरकार को अपनी रपट संस्तुति भेजेंगी।</p> <p>3. आवेदक को मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, आवेदक जहां निरुद्ध रहा हो, यथा-जेल, पुलिस थाना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जेल की दशा में जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र (उक्त दोनों दशाओं में जेल व पुलिस अधीक्षक दोनों का प्रमाण पत्र) आवेदन के साथ</p>	<p><u>प्रक्रिया:-</u></p> <p>1. आवेदन प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित किए जाएंगे तथा योजना के तहत सम्मान राशि की रचीकृति के लिए आवेदन, प्रतावित संशोधन के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद तीन माह के भीतर योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट-क (संशोधित) में दिए गए प्रपत्र में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जमा करवाना अनिवार्य होगा।</p> <p>2. राज्य स्तर पर गठित उक्त समिति प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण/जाँच कर मामले में अपनी रपट संस्तुति देगी। इसके अतिरिक्त, उक्त समिति किसी अन्य आवेदन-पत्र/मामलों को रचतः रचीकार कर सम्मान राशि हेतु उनकी अनुशंसा कर सकेगी।</p> <p>3. आवेदक को मीसा/डी0आई0आर0/Cr.P.C. (दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धाराओं के अन्तर्गत के अधीन राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, आवेदक जहां निरुद्ध रहा हो, यथा-जेल, पुलिस थाना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जेल की दशा में जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र (उक्त दोनों दशाओं में जेल व पुलिस अधीक्षक दोनों का प्रमाण</p>

9

	सम्बन्धित जिला उपायुक्त को प्रस्तुत करना होगा।	पत्र) आवेदन के साथ प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करना होगा।
4.	<p><u>सम्मान राशि की अदायगी:-</u></p> <p>4. सम्मान राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर लाभार्थी के परिवार/उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र सहित इसकी सूचना तीन माह के भीतर प्रशासनिक अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, जिला स्तरीय समिति व सम्बन्धित बैंक को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा अतिरिक्त सम्मान राशि जो सरकार द्वारा लाभार्थी को खीकृत/प्रदान की गई होगी, को प्रदेश सरकार को एक मुश्त वापिस करनी होगी।</p>	<p><u>सम्मान राशि की अदायगी:-</u></p> <p>4. सम्मान राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर लाभार्थी के परिवार/उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र सहित इसकी सूचना तीन माह के भीतर प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार व सम्बन्धित बैंक को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा अतिरिक्त सम्मान राशि जो सरकार द्वारा लाभार्थी को खीकृत/प्रदान की गई होगी, को प्रदेश सरकार को एक मुश्त वापिस करनी होगी।</p>

आदेश द्वारा,

सचिव (सामान्य प्रशासन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। दिनांक- शिमला-171002, 02/09/2020  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्टवाई हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ले० व ह०), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
3. प्रधान सचिव (मुख्यमन्त्री), हिमाचल प्रदेश शिमला-2
4. सचिव (राज्यपाल), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
5. समर्थ प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
6. समर्थ निजी सचिव, मन्त्री/मुख्य सचेतक, हिमाचल प्रदेश शिमला-2
7. समर्थ उपायुक्त/पुलिस व कारागार अधीक्षक हिमाचल प्रदेश।

9

8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
9. उप सचिव (सामान्य प्रशासन-री) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2  
को मन्त्रीमण्डल की बैठक क्रमशः दिनांक 30.07.2020 व  
24.08.2020 में मद संख्या-02 (अनौपचारिक निर्णय) व मद  
संख्या-29 के सन्दर्भ में।

  
 (कुलविन्दर सिंह),   
 उप सचिव (सामान्य प्रशासन),  
 हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

परिशिष्ट-क

हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-२०१९ हेतु निर्धारित

**आवेदन-प्रपत्रः**

(इसे प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को संबोधित किया जाए।)

1. आवेदक का नाम: .....  
(जिसे लोकतन्त्र प्रहरी घोषित करना है)

कृपया फोटो  
राजपत्रित  
अधिकारी से  
सत्यापित  
करवाएं

(क) आवेदक/आवेदिका का नाम: .....  
(उस दशा में जब लोकतन्त्र प्रहरी घोषित होने वाले व्यक्ति का र्खर्गवास हो गया हो)

(ख) घोषित होने वाले लोकतन्त्र प्रहरी की मृत्यु  
तिथि.....  
(मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

2. जन्म तिथि: .....

3. पिता/पति/पत्नी का नाम: .....

4. व्यवसाय व मासिक आय .....

5. स्थाई पता: .....

.....

6. पत्राचार हेतु पता: .....

.....

7. मीसा/डी०आई०आर०/Cr.P.C(दण्ड प्रक्रिया संहिता)  
की धाराओं के अन्तर्गत निरळ्ह रहने का स्थान एवं अवधि  
(कैद आरम्भ व अन्त होने की तिथियों सहित):.....

.....  
(सम्बन्धित जेल अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. F.I.R. संख्या व धाराएं जिनके तहत

उन्हें जेल/पुलिस थाने में रखा गया:.....

9. यदि आवेदक किसी अन्य राज्य से मीसा/डी०आई०आर० Cr.P.C(दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अन्तर्गत सम्मान राशि/मानदेय ले रहा है तो  
उसका विवरण शपथ पत्र पर दें:.....

... 2 ...

- 2 -

10. रिकॉर्ड गुम/अनुपलब्ध होने की दशा में परिशिष्ट-'ग' के अनुसार दो सहकैदियों के प्रमाण पत्र सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए संलग्न करें।.....
11. राष्ट्रीयकृत/राज्य सहकारी बैंक का नाम/खाता संख्या जो आधार से जुड़ा हो/I.F.S.Code  
(बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति संलग्न करें).....

आवेदन की तिथि:.....

स्थान: .....

दूरभाष/मोबाइल नं०:.....

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

#### शपथ पत्र

मैं, सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी/विवरण सत्य है। यदि सरकार द्वारा कुछ गलत पाया जाता है तो उसे मेरी लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि रद्द करने का अधिकार होगा तथा जितनी राशि मुझे प्रदान की गई होगी, मुझसे नगद/भूमि राजस्व के बकाया के रूप में एक मुश्त वसूल की जाएगी।

(शपथ पत्र संलग्न करें)

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-ख

“हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019” के अन्तर्गत लोकतन्त्र प्रहरी के आश्रितों को सम्मान राशि हस्तांतरित करने हेतु निर्धारित प्रपत्रः

(इसे प्रशासनिक सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को संबोधित किया जाए। )

1. आवेदिका/आवेदक का नाम तथा आयु:.....
2. स्थाई पता: .....  
.....  
.....
3. आवेदिका/आवेदक के पति/पत्नी का नाम:.....
4. लोकतन्त्र प्रहरी की मृत्यु तिथि:.....  
(मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें)
5. प्रदेश सरकार द्वारा लोकतन्त्र प्रहरी घोषित करने सम्बन्धी पत्र की संख्या व तिथि:.....  
(प्रति संलग्न करें ।)
6. आवेदिका/आवेदक का व्यवसाय: .....
7. क्या आवेदिका/आवेदक लोकतन्त्र प्रहरी की एकमात्र पत्नी/पति है:.....  
(पंचायत प्रधान/तहसीलदार का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।)
8. राष्ट्रीयकृत/राज्य सहकारी बैंक का नाम व खाता संख्या जो आधार से जुड़ा हो, I.F.S.Code सहित:  
(बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति संलग्न करें).....  
.....

कृपया फोटो  
राजपत्रित  
अधिकारी से  
सत्यापित करवाएं

आवेदन की तिथि:.....

स्थान: .....

दूरभाष/मोबाइल नं०:.....

(आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-गप्रमाण पत्र

मैं.....आयु.....सुपुत्र/पत्नी श्री.....  
 गांव.....डाकघर.....तहसील.....जिला.....  
 हि०प्र० का स्थाई निवासी हूँ तथा मुझे प्रदेश सरकार के पत्र संख्या.....  
 ..... दिनांक.....के अन्तर्गत लोकतन्त्र प्रहरी घोषित  
 किया गया है। (प्रति संलग्न)

मैं.....प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती.....  
 आयु.....सुपुत्र/पत्नी श्री.....गांव.....डाकघर.....  
 तहसील.....जिला.....हि०प्र० मेरे साथ दिनांक.....  
 से.....तक.....जेल/थाना  
 मैं मीसा/डी०आई०आर०/Cr.P.C. (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अन्तर्गत  
 राजनीतिक व सामाजिक कारणों से निरुद्ध रहे हैं। मेरा उक्त जेल/थाना में  
 बन्दी रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।

यदि उपरोक्त सूचना किसी भी समय गलत पाई जाती है तो प्रदेश  
 सरकार को उक्त दोनों व्यक्तियों (आवेदक तथा प्रमाणितकर्ता) की लोकतन्त्र  
 प्रहरी सम्मान राशि बन्द करने का अधिकार होगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर)